जना स्माल फाइनेंस बैंक
(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 तथा 12/2बी, ऑफ डोमलर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क के आगे, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071

निजी सन्धि द्वारा बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम), 2002 के तहत बैंक के पास प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के तहत अनुसूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। मैसर्स जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति बेचने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामी आयोजित की थी, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण वे असफल रहे। इसलिए कृपया सूचित किया जाता है कि यदि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर पूर्वोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी नीचे वर्णित संपत्ति को निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। व्यापक तौर पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है वही है आधार'' पर बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक के लिए सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है वही है आधार'' पर होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके बाद 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा जो उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
5. बैंक द्वारा खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
7. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. एक से अधिक प्रस्ताव के मामले में, बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।
9. इच्छुक पार्टियां अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।
10. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, और अन्य व्यय, कर, शुल्क, समाज बकाया वहन करना होगा।
11. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	सरफेसी अधिनियम के तहत 13(2) मांग सूचना के अनुसार राशि	निजी सन्धि हेतु आरक्षित मूल्य	प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण
1	45129420000021	1) राजेन्द्र पुत्र महावीर सिंह (आवेदक), 2) श्रीमती रजनी पत्नी राजेन्द्र (सह-आवेदक), 3) श्री पंकज पुत्र राजेन्द्र (सह-आवेदक)	रु. 18,48,825/- (रुपये अठारह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) तिथि 01.10.2022 तक	रु. 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र)	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: ए-57, फ्लैट नं. एसएफ-01, दूसरी मंजिल, बलराम नगर, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102, स्वामित्व श्रीमती रजनी पत्नी राजेन्द्र। सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट नं. एसएफ-02, पश्चिम : रोड 40 फीट, उत्तर : प्लॉट नं. 58-ए, दक्षिण : प्लॉट नं. 56-ए

पूर्वोक्त ऋणी/सह-कर्जदार का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें ऊपर वर्णित प्रतिभूत संपत्तियों को बेचने से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ-साथ उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान करके प्रतिभूत सम्पत्ति को विमोचित किया जा सकता है।

पत्राचार का पता: श्री राकेश शर्मा, मो. नंबर 7230070463, ईमेल: rakesh.sharma02@janabank.com, , जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व की जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.), कार्यालय16/12, तीसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली -110005

तिथि : 05.08.2023, स्थान : दिल्ली

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदा भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, यांत्रिक कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा आमंत्रित की जाती है:- **निविदा सूचना संख्या:** EL-MWS-GKP-2023-24-06, कार्य का विवरण: इनप्रूवमेन्ट आफ पावर सप्लाई अरेंजमेन्ट बाई रिप्लेसमेन्ट आफ ओल्ड एण्ड ओवर एज्ड एच.टी. ओवर हेड लाईन्स बाई अण्डरग्राउण्ड केबलिंग एण्ड इट्स एलाइड वर्क्स इन मैकेनिकल वर्कशाप गोरखपुर। अनुमानित लागत: ₹ 32,42,564.83, बयाने की राशि: ₹ 64,900/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 0.00, कार्य पूर्ण करने की समय/अवधि स्वीकार पत्र जारी होने के तिथि से 12 महीना।

- आन लाइन ई-निविदा जमा करने की तिथि 25-08-2023 समय 11:00 बजे तक। पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेबसाइट *www.ireps.gov.in* पर देखें। • यदि निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अन्तर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/(कार.)

गुजावि/विद्युत-112 **गोरखपुर**

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं. 09794845955 पर एसएमएस करें।

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत व निगमित कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुम्बई-400055, CIN: L65190MH2003PLC143249, ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

यहां इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि उल्लिखित ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/बंधककर्ता(ओं) जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण अग्रिम सुविधा के मूलधन और ब्याज को चुकाने में चूक की है और जिनके सुविधा खातों को गैर प्रदर्शन संपत्ति (एनपीए) में वर्गीकृत किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन की धारा 13(2) और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे अनुपालित लौटे हैं और इस तरह उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र.	खाता क्र.	ऋण का प्रकार	ऋणी, सह-ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम	13 (2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	एनपीए दिनांक सूचना दिनांक
1.	AFH000300860232 (A/c No. AFH000300487132 before Restructuring)	होम लोन	1. श्री विकास दिक्षित (ऋणी) 2. श्रीमती सपना तिवारी पति श्री विकास दिक्षित (सह-ऋणी एवं जमानतदार)	₹ 39,20,351.97/- (रुपये उन्तालीस लाख बीस हजार तीन सौ इकावन एवं संतानबे पैसे मात्र) दि. 10.07.2023 को बकाया	13-06-2023 14-07-2023

सुरक्षित संपत्ति का विवरण : फ्लेट नं. यूजीएफ-3, ऊपरी तल मंजिल, एम.आई.जी टाईप, सामने की तरफ, (आर.एच.एस.) बिना छत के अधिकार के (उक्त फ्लेट) प्लाट नं नीति खण्ड 1/186, कवर्ड क्षेत्र 45 वर्ग मीटर, रहवासी कॉलोनी नीति खण्ड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) **चर्तुसीमा:** पूर्व - प्लाट नं. 217, पश्चिम - रोड 36 फिट चौड़ा, उत्तर - प्लाट नं. 187, दक्षिण - प्लाट नं. 185.

उपर्युक्त ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) (जब भी लागू होते हैं) इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे विफल होने के बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात उपर्युक्त कदम उठाए जाएंगे। और, यह आपके ध्यान में लाने के लिए है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, यदि हमारी बकाया राशि, लागत और हस्तांतरण के लिए तय की गई तारीख से पहले किसी भी समय हमारे द्वारा किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और व्यय के साथ मिलती है, सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बेची या स्थानांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

हस्ता/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
वास्ते यस बैंक लिमिटेड

दिनांक : 05.08.2023
स्थान : गाजियाबाद

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मुख्तरण सिंह मनकू और रविंदर कौर** को **19.02.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOD00307071** की राशि **रू.21,67,870.53 /- (रुपए इक्कीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ सत्तर और तिरेपन पैसे मात्र)** और **15.02.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **03.08.2023** को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 21,67,870.53 /- (रुपए इक्कीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ सत्तर और तिरेपन पैसे मात्र) 15.02.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.बी/702, कारपेट एरिया 865 स्के.फीट, सातवीं मंजिल पर, टॉवर बी में, प्रोजेक्ट मोती सिटी, गाँव औरंगाबाद मदाना, तहसील मोदीनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

दिनांक: 03.08.2023
स्थान : गाज़ियाबाद

कम्पीटेंट ऑटोमोबाइल्स कं. लि.

पंजीकृत कार्यालय: कम्पीटेंट हाउस, एफ-14, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-01
दूरभाष: 011-45700000 ईमेल: cs@competent-maruti.com
वेब: www.competent-maruti.com CIN: L34102DL1985PLC020668

सूचना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीजुअल साधनों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), बही बंद होने तथा अंतिम लाभांश के संबंध में जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा ("सेबी") (सूचीकरण दायित्वों तथा प्रकटन विनियम) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के सभी प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई 2020 क्रमशः तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के अनुसार बैठक की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वीसी/ओएवीएम के जरिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

I. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। ऊपर उल्लेखित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.competent-maruti.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

II. ईमेल का पता के पंजीकरण/अद्यतन कराने का तरीका

क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल का पंजीकरण/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे सदस्य के नाम एवं पता का उल्लेख कर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि, पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा कंपनी के पास यथा पंजीकृत सदस्य के पता के साक्ष्य के समर्थन में अन्य किसी भी दस्तावेज (यानी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) के साथ अपने पंजीयक तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास admin@skylinerta.com पर लिख कर उसे पंजीकरण/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

ख) डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने अपने ईमेल पता का पंजीकरण/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनके पास वे अपने डिमैट खाते का रखरखाव करते हैं, के साथ अपने ईमेल पता का पंजीकरण/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

III. ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने का तरीका:

क) सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के जरिए एजीएम की सूचना में यथा निर्धारित व्यावसायिक पहलुओं पर अपने वोट डालने का अवसर उपलब्ध होगा। डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पता का पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे सदस्यों के लिए रिमोट तरीके से वोट (रिमोट ई-वोटिंग) का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदत्त है, जो कंपनी की वेबसाइट www.competent-maruti.com पर भी उपलब्ध होगा।

ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट डाल सकते हैं।

ग) ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए लॉगइन अनुप्रमाणपत्र सदस्यों को ईमेल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होते हैं अथवा जिनके पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना की टिप्पणी में दिए गए नीचे उल्लेखित निर्देशावलियों के जरिए लॉगइन अनुप्रमाणपत्र सृजित कर सकते हैं।

IV. लाभांश तथा उसके भुगतान के लिए बही बंद रहेगी:

क) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश प्रदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कंपनी ने मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 से सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (दोनों दिन सहित) तक बही बंद रखना सुनिश्चित किया है।

ख) सदस्यों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, सोमवार, 21 अगस्त, 2023 की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के विवरण के आधार पर तथा भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने के मामले में सोमवार, 21 अगस्त, 2023 की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में जिन सदस्यों के नाम दर्ज हैं, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

ग) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सभी सदस्यों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण का अद्यतन करा चुके हैं। डाक सेवा के सामान्य होने के उपरांत अपने बैंक खाते का अद्यतन नहीं करा चुके सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा।

घ) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर की कटौती का विषय वस्तु होगा। अधिक विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना की टिप्पणी देखें।

V. लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकरण कराने का तरीका:

सदस्यों से अपने परिपूर्ण बैंक विवरण का पंजीकरण/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है:

क) डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों, जिनके पास उनके डिमैट खाता का रखरखाव किया जाता है, के पास वांछित दस्तावेज जमा कर। आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरण भी प्रस्तुत करना होगा; तथा

ख) कंपनी के पास (जहां शेयर भौतिक प्रारूप में धारित है) virenr@skylinerta.com पर साथ में cs@competet-maruti.com को उसकी प्रतिलिपि भेजना होगा के साथ सदस्य के नाम, फोलियो नं., बैंक का विवरण का उल्लेख कर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की एक प्रतिलिपि, पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा रद्द चेक की एक प्रतिलिपि भेज कर पंजीकरण कराया जा सकता है।

सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लेखित सभी टिप्पणियों तथा विवरण, एजीएम में शामिल होने के निर्देशावलियां, रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने अथवा एजीएम में वोट डालने का प्रारूप सावधानीपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

कृते **कम्पीटेंट ऑटोमोबाइल्स कं. लि.**
हस्ता/-
रवि अरोड़ा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2023

सार्वजनिक सूचना – परिसंपत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) परंतुक के साथ पठित के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद् द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों को बंधक/प्रत्याभूत ऋणदाता को प्रभारित किया गया है, जिसका कब्जा एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जो एक एसेट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी है जो सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। आर्सिल ने वित्तीय परिसंपत्तियों के नीचे उल्लेखित बैंकों/वित्तीय संसाधनों से अधिग्रहण किया है और प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। परिसंपत्तियों को ''जो है जहां है'', ''जो है जैसी है'', और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर नीचे उल्लेखित अनुसूची के अनुसार इसके तहत दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार बेचा जाएगा :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/बैंक का नाम वित्तीय संस्थान	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	न्यास का नाम	प्रकार/आकार/संपत्ति का प्रकार	कुल बकाया देय रुपये में	अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	आरक्षित मूल्य (रुपये) में	निरीक्षण की दिनांक	नीलामी की दिनांक और समय	कब्जे का प्रकार
1	H401HHL0181189 और H401HLT0185581/ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गोपाला अय्यर/ रामा अय्यर	आर्सिल - रिटेल पोर्टफोलियो -042 - ई - ट्रस्ट	भूमि: लागू नहीं निर्मित/ फ्लैट : 1058 वर्ग फुट (अंदाजन)	रुपये 69,30,451.79/- दि. 03.08.2023	रुपये 3,10,000/-	रुपये 31,00,000/-	11अगस्त, 2023	22 अगस्त, 2023 अपराह्न 11:00 बजे	भौतिक

प्रत्याभूत संपत्ति पता : मकान.सं 2039-डी, संपूर्ण भूतल बिना छत अधिकार, अरावली विहार, सैनिक कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

1	नीलामी दिनांक	जैसा यहां ऊपर उल्लेखित है	5	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	नीलामी से 2 घंटे पहले उसी दिन
2	बोली जमा करने का स्थान और नीलामी का स्थान	इकाई सं. 1008, 11वां तल, वेस्ट ऐंड मॉल, जनकपुरी जिला सेंटर, नई दिल्ली-1110 058 **शाखा इलाके में कोविड की स्थिति के आधार पर बोलियां ऑनलाइन/व्यक्तिगत रूप से जमा की जा सकती हैं** ashfaq.patka@arcil.co.in, shailesh.gaikwad@arcil.co.in, vikram.tanwar@arcil.co.in	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान देय डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे	नई दिल्ली
3	नीलामी के लिए वेबसाइट	**www.arcil.co.in**	7	नाम जिसके पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार किया जाना है	नाम जैसा कि प्रत्येक संपत्ति के विरुद्ध न्यास कॉलम में दिखाया गया है
4	संपर्क व्यक्ति फोन नम्बर के साथ	अशफाक पटका/शैलेश गायकवाड़/विक्रम तंवर/ 9819415477/9867929121/8860122299	8	निरीक्षण का समय	पूर्वाह्न 10.00 बजे - अपराह्न 05.00 बजे **नोट : कोविड-19 की स्थिति के अनुसार निरीक्षण दिनांक और समय में परिवर्तन हो सकता है।**

❖ एक बोलीदाता अपनी मर्जी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी में ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा का लाभ उठा सकता है जो ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पते पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है। ऑनलाइन बोली कंपनी की वेबसाइट पर होगी जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज और विस्तृत नियम और शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती है या इसे ऊपर बताए गए आर्सिल के संबंधित शाखा कार्यालय से भी एकत्र किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि बिक्री बोली दस्तावेज में बताए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी। बिक्री कड़ाई से इस विज्ञापन में शामिल नियमों और शर्तों और निर्धारित बोली/निविदा दस्तावेज के अधीन है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस सूचना को प्रत्याभूत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत सूचना भी माना जाना है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 05.08.2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड CIN : U65999MH2002PLC134884,
पंजीकृत कार्यालय : दा रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई-400 028, फोन नं. : 022-6658130 **www.arcil.co.in**
शाखा का पता : इकाई सं.1008, 11वा तल, वेस्ट ऐंड मॉल, जनकपुरी जिला सैंटर, नई दिल्ली-110 058, फोन नं. : 011-41775206

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के तहत)

मूवइनपिक होटल्स एंड रिसॉर्ट्स मैनेजमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ / सूचनार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कारपोरेट देनदार का नाम	मूवइनपिक होटल्स एंड रिसॉर्ट्स मैनेजमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट देनदार के निगमन की तारीख	27.12.2011
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट देनदार निगमित है	कंपनी पंजीयक- दिल्ली
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U55101DL2011FTC229356
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	4वीं तल, कावेरी टॉवर, 211, पॉकेट-6, सेक्टर-डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
6.	कारपोरेट देनदार की इनसॉल्वेंसी शुरू होने की तारीख	01.08.2023
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	श्री अशोक कुमार वर्मा IBBI/IPA-002/IP-N00591/2018-19/11847 13-बी, दूसरा तल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 ashokvermaifcs@yahoo.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	30.08.2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स मूवइनपिक होटल्स एंड रिसॉर्ट्स मैनेजमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड ने 01.08.2023 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।

मैसर्स मूवइनपिक होटल्स एंड रिसॉर्ट्स मैनेजमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा उपरोक्त मद सं. 7 पर उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास 30.08.2023 तक अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर :
अशोक कुमार वर्मा
दिनांक: 04.08.2023
स्थान: नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालयः 31, जेल चुंगी
मेरठ शहर,
फोन नं0 0121-433102

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV नियम-8(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर/बंधककर्ता को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 व उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सम्बन्धित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के खर्च के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 सं0	शाखा/ऋणकर्ता/गारन्टर के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की दिनांक	बकाया धनराशि
1.	**शाखा: शुगर मिल, खतौली** **ऋणी: 1. श्री आनंद पाल पुत्र श्री श्री चन्द, मकान नं0 184 निकट सीता शरण स्कूल, जमुना विहार खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर, 2. श्री दीपक कुमार पुत्र श्री आनंद पाल, मकान नं0 184 निकट सीता शरण स्कूल, जमुना विहार खतौली- 251201 जिला- मुजफ्फरनगर।**	बंधक आवासीय मकान निर्मित प्लॉट माप 431.39 वर्ग गज अर्थात् 360.69 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला राम लोक, कस्बा खतौली, तहसील- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर सम्पत्ति स्वामी श्री आनंद पाल पुत्र श्री श्रीचन्द, विक्रय विलेख नं0 1469, दिनांक 08.03.2010 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- उत्तरः सीता शरण स्कूल की खुली भूमि, दक्षिणः प्लॉट नं0 41, पूर्वः रास्ता पश्चिमः सरदार सिंह एवं अन्य का प्लॉट नं0 42	06.12.2020 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **01.08.2023**	**रू0 10,34,979/-** दिनांक 06.12.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
2.	**शाखा: शुगर मिल, खतौली** **ऋणी: 1. श्री कासिमुद्दीन पुत्र श्री सलीमुद्दीन, मकान नं0 88 मौहल्ला- बालकराम, खतौली-251201, जिला- मुजफ्फरनगर। 2. श्री नजमुद्दीन पुत्र श्री सलीमुद्दीन, मकान नं0 88, मौहल्ला- बालकराम, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर।**	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड मकान नं0 88, वार्ड नं 23, मौहल्ला- बालकराम, खतौली, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251201, माप क्षेत्रफल 192.89 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री कासिमुद्दीन एवं श्री नजमुद्दीन पुत्र श्री सलीमुद्दीन। सीमाएँ:- उत्तरः विक्रेता का प्लॉट अर्थात् श्री राधे श्याम + रेखा रानी, दक्षिणः मंदिर की सम्पत्ति, पूर्वः विनोद एवं कालू का मकान, पश्चिमः 10 फीट चौड़ा रास्ता।	01.11.2022 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **01.08.2023**	**रू0 15,18,882/-** दिनांक 01.11.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
3.	**शाखा: शुगर मिल, खतौली** **ऋणी: 1. मैसर्स शिवांश ब्रिक फील्ड, प्रो0 श्री बविंदर सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, 2. श्री बविंदर सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, पताः मकान नं0 125 से 135, वार्ड नं0 13, कुआड़ा रोड शांतिनाथ नगर, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर। गारन्टरः श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री धर्मवीर सिंह, पताः मकान नं0 125 से 135, वार्ड नं0 13, कुआड़ा रोड शांतिनाथ नगर, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर।**	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, मकाननं0 125 से 135, वार्ड नं0 13, कुआड़ा रोड, शांतिनाथ नगर, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर, माप क्षेत्रफल 158.84 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री धर्मवीर सिंह। सीमाएँ:- उत्तरः सुशीला गार्डन, दक्षिणः श्री अनिल का मकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः अन्य का मकान।	14.07.2022 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **01.08.2023**	**रू0 32,33,551/-** दिनांक 14.07.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
4.	**शाखा: शुगर मिल, खतौली** **ऋणी: श्री जाहिद पुत्र श्री उमरदीन, मकान नं0 250, मस्जिद 13, निकट मंदिर, न्यू बस्ती शिवपुरी, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर। गारन्टरः श्री सद्दाम पुत्र श्री जाहिद, निवासीः मुलफारिक नई बस्ती, खतौली- 251201, जिला- मुजफ्फरनगर।**	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, मकान नं0 250 मस्जिद 13, निकट मंदिर न्यू बस्ती शिवपुरी, खतौली, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 251201, माप क्षेत्रफल 71.56 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री जाहिद पुत्र श्री उमरदीन। सीमाएँ:-उत्तरः श्रीमती खातून का प्लॉट, दक्षिणः उमर फारूख की मस्जिद, पूर्वः 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः श्री इरशाद का मकान।	20.07.2022 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **01.08.2023**	**रू0 14,62,387/-** दिनांक 20.07.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
5.	**शाखा: क्लॉक टॉवर, सहारनपुर** **ऋणी: 1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रमल सिंह, मकान नं0 212, टैगोर गार्डन, निकट राज विहार कॉलोनी पेपर मिल रोड, सहारनपुर- 247001 (उ0प्र0)। 2. श्रीमती रेखा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, मकान नं0 212, टैगोर गार्डन निकट राज विहार कॉलोनी पेपर मिल रोड, सहारनपुर- 247001 (उ0प्र0)। गारन्टरः श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय चन्द अरोरा (मैसर्स अरोरा फ्यूरिचर सर्विस), 4, नं0 41, खंड-1, नवीन नगर सहारनपुर- 247001 (उ0प्र0)।**	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड (भूमि एवं भवन) माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, सम्पत्ति स्वामी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रमल सिंह एवं श्रीमती रेखा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, मकान निर्मित, प्लॉट नं0 212 का उत्तरी भाग खसरा नं0 1482 एम, 1494 एम, 1500 एम, 1501 एम का भाग, शेखपुरा कदीम, दर आबादी, टैगोर गार्डन, पेपर मिल रोड, सहारनपुर। सीमाएँ:- उत्तरः श्री विशम्बर बाल्मिकी की सम्पत्ति, दक्षिणः श्री सत्य पाल धीमान की सम्पत्ति पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः पंडित दिनेश कुमार की सम्पत्ति।	20.07.2020 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **02.08.2023**	**रू0 4,20,810/-** दिनांक 20.07.2020 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
6.	**शाखा: कोर्ट एरिया, सहारनपुर** **ऋणी: 1. मैसर्स स्पीड टेक ऑटो, प्रोपराइटरः श्री विनोद कुमार, 1688/ई-2 हकीकत नगर, निकट वाटर टैंक, सहारनपुर (उ0प्र0)। 2. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सीता राम, 1688/ई-2 हकीकत नगर, निकट वाटर टैंक, सहारनपुर (उ0प्र0)। गारन्टरः श्रीमती सारिका पत्नी श्री विनोद कुमार, 1688/ई-2 हकीकत नगर, निकट वाटर टैंक, सहारनपुर (उ0प्र0)।**	बंधक औद्योगिक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, अर्थात् प्लॉट नं0 19 का पश्चिमी भाग खसरा नं0 94 का भाग, माप क्षेत्रफल 500 वर्ग गज (418.05 वर्ग मीटर), स्थित छजपुरा, देहरादून रोड, सहारनपुर- 247001, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सारिका पत्नी श्री विनोद कुमार। सीमाएँ:- उत्तरः 40 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य व्यक्ति की भूमि, पूर्वः श्री विजेन्द्र कुमार जैन के प्लॉट नं0 19 का शेष भाग, पश्चिमः श्री विपिन कुमार जैन का प्लॉट नं0 20	12.12.2022 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **02.08.2023**	**रू0 13,99,865.96** दिनांक 12.12.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
7.	**शाखा: मेरठ कैंट** **ऋणी: 1. श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री हनिफ अंसारी। 2. श्रीमती सबिला पत्नी श्री अब्दुल वाहिद, दोनों निवासीः मकान नं0 414, निकट आयशा मस्जिद, ग्राम- पावली खास, परगना- दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ- 250110**	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, माप क्षेत्रफल 85.46 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- पावली खास, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री अब्दुल वाहिद अंसारी पुत्र श्री हनिफ अंसारी। सीमाएँ:- उत्तरः अमीर असलम खा की सम्पत्ति, दक्षिणः तसलीम खा का मकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः नफीस खा का मकान।	14.12.2022 **कब्जे (पजेशन) की तिथि** **02.08.2023**	**रू0 5,10,850/-** दिनांक 14.12.2022 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः 04.08.2023 **स्थानः मेरठ** **प्राधिकृत अधिकारी**

ACME RESOURCES LTD.

Regd. Office : 984, 9th Floor Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110034

Notice is hereby given that pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing obligation & Disclosure requirements) regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company M/s Acme Resources Limited will be held on Friday, the 11th day of August 2023 at 3:00 P.M. at Registered office of the Company at 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 to inter-alia, consider and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June 2023.

By order of the Board,
For **Acme Resources Limited**
02nd August 2023 sd/- Managing Director

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अभिषेक जैन खसरा नंबर 291 की हद तक क्षेत्रफल 124 वर्ग गज, ग्राम खालीपार के लाल डोरा में स्थित, ग्राम हैदरपुर, दिल्ली-110088 के मालिक हैं, श्री अभिषेक जैन के पक्ष में निम्नलिखित दस्तावेज हैं। 1. पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी (पंजीकृत सं. 4940, पुस्तक सं. 4, खंड सं. 462 पृष्ठ सं. 189 से 196 पर, 11.09.2008 एसआर-VI ए दिल्ली में)। 2. नोटरीकृत एटीएस, शपथ पत्र, रसीद एवं कब्जा पत्र दिनांक 27.08.2008 (दस्तावेज संख्या 1 और 2 1. श्री सौरभ वार्ष्णेय और 2. श्री गौरव वार्ष्णेय दोनों पुत्र स्वर्गीय श्री पी.एस. वार्ष्णेय द्वारा निष्पादित)। 3. उक्त संपत्ति के संबंध में श्री सौरभ वार्ष्णेय द्वारा पंजीकृत वसीयत दिनांक 11.09.2008 को एसआर-VI-ए दिल्ली में पंजीकरण संख्या 1643, पुस्तक संख्या 3, खंड संख्या 39, पृष्ठ संख्या 172-173 पर दिनांक 11.09.2008 को निष्पादित की गई। और मेरे मुवक्किल इसे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास गिरवी रखना चाहता है। किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@live.com)

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 56/7, Nallambakkam Village, (Via Vandalur),Chennai-600048, Tamil Nadu
CIN- L74899TN1987PLC111744 **Tel:** 9551050418-21
E-mail: shares@bhartiya.com **Website:** www.bhartiya.com

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 11thAugust, 2023, inter-alia, to consider and approve Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023.

The said notice can be accessed on the Company website at www.bhartiya.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **Bhartiya International Limited**
Sd/-
Yogesh Kumar Gautam
(Company Secretary)

Date: 04.08.2023
Place: Gurugram

4495
01/08/23

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

Court Notice by bank	01.08.2023
Spot Notice by bank:	09.08.2023
Date of inspection:	28.08.2023
Date of submission of ID's and EMD	05.09.2023
E-Auction	11.09.2023
Report Date	20.09.2023

आर.सी. संख्या: 25/2021 आगामी तिथि- 20.09.2023

प्रकरण का उनवान:

एच.डी.एफ.सी. बैंक बनाम आशीर्वाद मेडिकोज
विक्रय की उद्घोषणा
कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा-2, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 1,09,26,480.19 रुपये (अक्षरे एक करोड़ नौ लाख छब्बीस हजार चार सौ अस्सी एवं उन्नीस पैसे मात्र) एवं ब्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 1279/2019 दिनांकित 02.12.2020 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 25/2021 जारी किया गया है।

एवं यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है।

एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक ब्याज एवं खर्चे सहित कुल 1,28,06,148.36 रुपये (अक्षरे एक करोड़ अठाईस लाख छः हजार एक सौ अड़तालिस एवं छत्तीस पैसे मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति प्रमाणपत्रधारी बैंक द्वारा सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा दिनांक 11.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे तक E-auction platform at website https://www.bankeauctions.com of M/s C1 India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurgaon 122003, Haryana पर विक्रय की जायेगी। उक्त वेबसाइट से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए मि. भाविक पाण्ड्या (मोबाईल नम्बर 8866682937, +91 7291891124 / 25/ 26) से संपर्क करना होगा।

अन्य जानकारी के लिए बैंक अधिकारी श्री कैलाश शर्मा (मोबाईल नंबर 9214089244) से संपर्क करना होगा।

यह कि उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित किए गए है, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति 'जैसी है, जहां है एवं जैसी स्थिति में है' के आधार पर विक्रय की जायेगी।

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तों की अध्यधीन होगा–

1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अधोहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये है। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब देह नहीं होगा। 2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू. 94.00 लाख होगा, जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। 3. संपति की बोली बढ़ाने की राशि क्रमशः 50,000/- के गुणांक में होगी। 4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय जरिये आर.टी.जी.एस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे है, प्रस्तुत करने होंगे। 5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा। 6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार होगा। 7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी। 8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुवे वसूली अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code : HDFC0001843 है जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुनः विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जावेगा। उस स्थिति में व्यतिक्रमी के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोजित किए जाने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जावेंगे सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।

सम्पत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	अन्य सहभागियों का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यतिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह- मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियाँ जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	2	3	4	5
1.	Kalyan Mansion, Consuructed on South side-1/2 Part of Plot No. 05, Known as plot No. 5B, situated at Film Colony, Chowkri Modikhana, Jaipur Share of Mortgage- West Facing South Side Shop at Ground Floor & Mezzanine Floor, Area 221.00 Sq	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

सील

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 28/07/2023 को जारी किया गया।

वसूली अधिकारी - I
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर